न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 43/2020

लल्लूराम पुत्र श्री गंगूराम जाति मीणा, निवासीः ग्राम परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नि श्री रामकरण
2. रमेशचंद पुत्र श्री रामकरण
3. रामफूल पुत्र श्री रामकरण
4. मोहनलाल पुत्र श्री रामकरण
5. राकेश पुत्र श्री रामकरण
6. संतरा पुत्री रामकरण

समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर, प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 उनवान गुलाबदेवी बनाम लल्लूराम अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री सत्यप्रकाश पारीक एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री जयवर्द्धन शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 6

निर्णय दिनांकः 26.2.21

:–निर्णय–:

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 398 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 401/445 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 402 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 402/449 रकबा 0.01 हैक्टेयर ग्राम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है, में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 403 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 399/435 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 12 फीट की चौडाई के नये रास्ते हेतु भूमि चाही जा रही जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की एवं अन्य खातेदारान की भूमि का मौका निरीक्षण संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से करवा लिया जावे। प्रार्थी रास्ते की भूमि का नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट मंगवाकर चाहा गया रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते को दर्ज किया जावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 403 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 399/435 रकबा 0.32 हैक्टेयर में से रकबा 0.002 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 408 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर कुल 0.05 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रदान की। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु पूर्व से ही रास्ता मौजूद है जो खसरा नंबर 170, 173 गै.मु. रास्ता डामर रोड ग्राम समूल से परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया को होता हुआ ग्राम द्वारकापुरा को जाता है जो सरकारी रास्ता खसरा नंबर 369, 350 में होता हुआ चारागाह खसरा नंबर 362 में मिलता है। चारागाह प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 401 ग्राम परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया एवं खसरा नंबर 766, 767 ग्राम जगसरा, तहसील निवाई में मिलता है। इसी रास्ते में होकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स अपनी खातेदारी में आते जाते है। रेस्पोडेन्ट के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इस कारण विधि अनुसार रेस्पोडेन्ट को नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चाहे गये रास्ते के सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं देकर गलत निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 649, आरटीए एक्ट धारा 251(क) पेज 146–147 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गिरदावर की रिपोर्ट से बखूबी साबित है कि रेस्पोडेन्ट के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एकमात्र रास्ता अपीलान्ट की भूमि में से ही स्थित है। अपीलान्ट द्वारा मात्र प्रकरण में पेचीदगी उत्पन्न करने एवं रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर कर सही निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।

3. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते हेतु धारा 251ए के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि में रास्ता प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 25.11.2019 को पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.12.2019 को बहस तहसीलदार रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गयी थी। तत्पश्चात् दिनांक 04.12.2019, 09.12.2019, 11.12.2019 को पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी। दिनांक 19.12.2019 को पत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 30.12.2019 को वास्ते आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गयी थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2019 को आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार कर लिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पक्षकारान की बहस सुनी थी बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायायल द्वारा प्रक्रियात्मक

राजस्व अपील प्राधिकारी

त्रुटि कारित करते हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए का निर्णय भी गलत पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता तथा रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दुओं का भी परीक्षण नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित करते हुये गलत निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किया जाना उचित है।

4. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार कायम किया जाना सुनिश्चत कर समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें साथ ही वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता तथा रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दु को परीक्षण कर प्रकरण का युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 26.2.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर